न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राज

उनवान .....[illegible]..... मुकदमा नं० .....[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख व ता[illegible] अहकाम जो इ[illegible] की तामील में ज[illegible]
19/2/19	[illegible] ने कार्य स्थगित कर रखा है [illegible] गत आदेश की पालना में दिनांक 26/3/19 को पेश हो	
26/3/19	[illegible] वादी, वादी/अभावी, प्रतिवादी [illegible] दिनांक 23/5/19 को पेश हो	
23/5/19	वकील प्रार्थी, वादी/अभावी, प्रतिवादी उप. पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 27/6/19 को पेश हो	
27/6/19	वकील प्रार्थी, वादी/अभावी, [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] दिनांक 19/8/19 को पेश हो	
19/8/19	पत्रावली पेश हुई। इस प्रा. पत्र को सम्बन्धित मूल पत्र आरम्भ [illegible] प्रश्न में 3R3 CPC के तहत स्वीकृत [illegible] प्रतिवाद। अब इस प्रा. पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा. पत्र 912 R T Act इसी शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि अपील फायनल शुल्क होकर सम्बन्धित को कम की नकल प्राप्त तामील आमिल करवाई।	उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner